झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक – 8/ज०स० (नि०) ल०सिं० राँची–01/2013 राँची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अजीत कुमार सिन्हा ने जबकि वे कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित थे। घोर अनियमितता, कदाचार अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री अजीत कुमार सिन्हा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 बी० के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2. श्री अजीत कुमार सिन्हा, से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री शेखर कुमार वर्मा, झा०प्र०से० (सेवानिवृत), विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमशेदपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हैं।

4. प्रस्ताव पर मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथ श्री श्री शेखर कुमार वर्मा, झा०प्र०से०(सेवा निवृत) विभागीय जाँच पदाधिकारी, टी०ए०डिवीजन बिल्डिंग गोलचक्कर धुर्वा राँची /कार्यपालक अंभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमशेदपुर/श्री अजीत कुमार, सिन्हा सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता डुप्लेक्स नं०–12, बसुंधरा स्टेट एन०एच०–33, पो०–एमजीएम, डिमना जमशेदपुर–831018 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– **राँची/दिनांक**

प्रतिलिपि :–अनुबंध की प्रति के साथ श्री शेखर कुमार वर्मा, झा०प्र०से०(सेवा निवृत) विभागीय जाँच पदाधिकारी, टी०ए०डिवीजन बिल्डिंग गोलचक्कर धुर्वा राँची /कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल जमशेदपुर/श्री अजीत कुमार सिन्हा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, डुप्लेक्स नं०–12, बसुंधरा

स्टेट एन०एच०–33, पो०–एमजीएम, डिमना जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड–831018 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगें साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेगें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3. प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4. आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख/कागजात देखना चाहते है तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०–यथोक्त।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 6320 राँची/दिनांक 23.12.15

प्रतिलिपि :–उप सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/12/2015

सरकार के अवर सचिव

23.12.15